कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग अजमेर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.सा.विज्ञान/2016 दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (**संस्कृत**) पद पर भर्ती परीक्षा 2016 हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के अर्न्तगत पे–मैट्रिक्स लेवल नं. L–11 में वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक के पद पर एतद् विषयक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के निर्णय के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान करते हुवे दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी(नियम)/2017 जयपुर दिनांक 09.12.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(अक्षरे रूपये छब्बीस हजार पॉच सौ) अथवा पूर्व से राजकीय सेवा में होने की स्थिति में नियम 17 के अनुसार विद्यमान वेतन देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1– इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।

2– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

3– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 तथा एफ 7(1)कार्मिक/क–2/45/पार्ट II दिनांक 20.11.15 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4– राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जावे । अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करावाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एसं उनके विरूद्व कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

5– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

6– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभिशार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 के अनुसार धुमपान एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबद्धता (अन्डरटकिंग) देनी होगी।

7– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभिशार्थी से राज्य सरकार के निर्देशानुसार विवाह के समय दहेज लेने/नही लेने का घोषणा पत्र लेना है।

8– वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा–2016में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

9– विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन के संबंध में निर्वाचन विभाग. राजस्थान के पत्रांकः–एफ. 3(1)(9)I/Elect/2018/6995 दिनांकः–08.10.2018 के गठित स्क्रिनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आई.डी.संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांकः–23.10.18 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर की गई है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10-11-18** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(जीवराज जाट)
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग अजमेर

क्रमांक/संनि/स्कूल शिक्षा/अज/संस्था–4/**फा–सीभवअ संस्कृत**/2016/2018/5225 **दिनांकः–31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01–निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
02–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
03–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04–शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
05–जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोंक
06–संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की कार्यग्रहण सूचना कार्यालय को तुरंत प्रेषित करावें ।
07–संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
08–रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग अजमेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग, अजमेर

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के विषय – संस्कृत के चयन उपरान्त पदस्थापन आदेश दिनांक 31.10.2018

क्रमांक :– संनि/स्कूल शि./अज/संस्था–4/फा–सीभवअ संस्कृत/2016/2018/5225 दिनांक – 31.10.2018

क्र.स.	अभ्यर्थी का छायाचित्र	मेरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	पता	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान
1		3395	JEMMA VASUNIA	DIPA VASUNIA	08-02-1977	MISSION COMPAUND, BANSWARA, BANSWARA,BANSWARA	TSP-ST, WE, WD, RG	STF	WD	GOVT. SEC. SCH. AKHEPURA, PEESANGAN, AJMER

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
अजमेर संभाग, अजमेर